17

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : एम.के. सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निग0 2013–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–06–16 एवं 25–7–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 363/अ–21/2013–14.

श्री बसंतलाल गौंड पिता श्री नन्हेलाल गौंड
निवासी 1931 आसरा अपार्टमेंट
अम्बर बिहार व जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर जिला जबलपुर ---- अनावेदक

......

( आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड )
( अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता )

......

**आदेश**

**(आज दिनांक 5-12-2016 को पारित)**

........

यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 363/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 06–06–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बसंतलाल गौंड़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य मौजा कल्याणपुर प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. इमलई स्थित भूमि खसरा नं. 585 रकबा 2.190 हैक्टर (5.41 एकड़) को गैर आदिम जनजाति सदस्य श्रीमती पूजा मेहरापति श्री संतोष कुमार मेहरा को विकय करने की अनुमति

देने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, कुण्डम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । कलेक्टर के उक्त आदेश एवं उसके उपरांत दिनांक 25-7-16 को पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदक के शीघ्र सुनवाई के आवेदन को देखे बिना आदेश पारित किया गया है क्योंकि आवेदक ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि आवेदक का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है जिस कारण वह संसाधनों के अभाव में अपनी कृषि भूमि का समुचित रूप से दोहन करने में असमर्थ है । आवेदक को विवाह हेतु रूपयों की आवश्यकता है परंतु जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदन में केवल विवाह हेतु रूप्यों की ही आवश्यकता होने का उल्लेख करते हुए आवेदन निरस्त किया है जो न्यायसंगत नहीं है । आवेदक ने प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 6-6-16 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 24-6-16 को पेश

की गई थी जो उक्त दिनांक को ही ग्राह्य की जाकर अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए गए थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयद्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दिनांक 25-7-16 को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर इस न्यायालय द्वारा ही जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का जो आवेदन पेश किया गया है, उसको देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने उक्त आवेदन में विवाह हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के साथ-साथ उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण संसाधनों के अभाव में अपनी कृषि भूमि का समुचित रूप से दोहन न कर पाने की बात भी कही गई है । उक्त आवेदन तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा पेश किया गया था, ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में उनका आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अभिलेख में तहसीलदार का प्रतिवेदन भी संलग्न है जिसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि शासकीय नहीं है बल्कि कय की गई भूमि है । भूमि विक्रय करने हेतु आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । विक्रय से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के

उपरांत आवेदक के पास ग्राम रानीपुर में 6.47 हैक्टर भूमि शेष बचती है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है इस तथ्य को जिलाध्यक्ष द्वारा अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । परिणामतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की मौजा कल्याणपुर प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. इमलई स्थित भूमि खसरा नं. 585 रकबा 2.190 हैक्टर (5.41 एकड़) को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर

R/15C